रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 504] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 1985/आश्विन 23, 1907
No. 504] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 1985/ASVINA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1985

बीमा

का. आ. 770 (अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1985 है।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1985 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(3) यह (अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक से भिन्न) ऐसे सभी अधिकारियों को लागू होगी, जो,—

(i) इस स्कीम के प्रारम्भ की तारीख को निगम या कंपनी के पूर्णकालिक अधिकारी हैं,

(ii) इस स्कीम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् निगम या कंपनी द्वारा इस रूप में नियत किए गए हैं, किन्तु यह ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होगी—

(क) जो नियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि के अधीन नियोजित किए गए हैं ; या

(ख) जो अंशकालिक नियोजन धारण कर रहे हैं ; या

(ग) जिनका त्यागपत्र, राजपत्र में इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के पूर्व, स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं उक्त तारीख से पूर्व समाप्त कर दी गई हैं।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है) के पैरा 3 में खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ढक) "पुनरीक्षित नियन्त्रण" से चौथी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं ;

(ढख) "पुनरीक्षित वेतनमान" से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान अभिप्रेत है।"।

3. उक्त स्कीम के पैरा 4 में उप पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

(4) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधित स्कीम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संशोधित स्कीम' कहा गया है) के प्रारम्भ की तारीख से ही प्रत्येक अधिकारी के वेतन और भत्ते "पुनरीक्षित निबन्धनों" के अनुसार होंगे और सेवा के प्रत्येक अधिकारी का उस तारीख को मूल वेतन पैरा 6क के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में नियत किया जाएगा।

(5) प्रत्येक अधिकारी का, जिसका मूल वेतन पैरा 6क के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाता है, 1 अक्तूबर, 1983, या उसकी नियुक्ति की तारीख को आरम्भ हो, दोनों में से भी जो पश्चात्वर्ती हो, पुनरीक्षित निबन्धनों और संशोधित स्कीम के प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व उसे लागू "पूर्व निबन्धनों" (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विद्यमान निबन्धन" कहा गया है) के बीच मूल वेतन, महगाई भत्ता और अन्य भत्ता के अन्तर की रकम का (भविष्य निधि में अधिकारी के अनिवार्य अभिदाय की कटौती करने के पश्चात्) संदाय किया जाएगा

परन्तु उपर्युक्त अन्तर की रकम के संदाय की नकद में या अन्यथा पद्धति, रीति और अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार होंगे

परन्तु यह और कि —

(i) उस अधिकारी को जो 1 अक्तूबर, 1983 के पश्चात् सेवा से निवृत्त हो गया है, उपर्युक्त अन्तर की रकम का संदाय उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए किया जाएगा और साथ ही उपदान, यदि कोई है तो रकम में संशोधित स्कीम से उद्भूत होने वाले अन्तर का संदाय भी किया जाएगा और

(ii) उस अधिकारी की दशा में जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए 1 अक्तूबर, 1983 के पश्चात् हुई है, उपर्युक्त अन्तर की रकम का संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसे उसकी भविष्य निधि का संदाय किया जाना है और उपदान यदि कोई है, की रकम में, संशोधित स्कीम से उद्भूत होने वाले अन्तर का संदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसे उसके उपदान का संदाय किया जाना है।

स्पष्टीकरण — उप पैरा (5) के प्रयोजनों के लिए 'अन्य भत्ते' पद से अधिकारी को अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता अभिप्रेत है।'।

4. उक्त स्कीम के पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

6क— पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का नियत किया जाना

(1) सेवा के प्रत्येक अधिकारी का 30 सितम्बर, 1983 का मूल वेतन पांचवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 1 अक्तूबर, 1983 को प्रभावी सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में तत्संबंधी अनुक्रम पर नियत किया जाएगा

परन्तु जहां ऐसे अधिकारी को 1 अक्तूबर, 1983 को कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय हो वहां उसे मूल वेतन के इस प्रकार से नियत किए जाने के ठीक पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि मंजूर की जाएगी

परन्तु यह और कि जहां ऐसे अधिकारी का मूल वेतन सुसंगत वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया गया हो वहां कोई वेतन वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी।

(2) 1 अक्तूबर, 1983 को या उसके पश्चात् किन्तु राजपत्र में संशोधित स्कीम के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी का मूल वेतन पांचवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में तत्संबंधी अनुक्रम पर उस अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से नियत किया जाएगा।

(3) (क) उप पैरा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, अधिकारी यह चुन सकता है कि उसका मूल वेतन संशोधित स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाए, और ऐसी दशा में वह इस तथ्य को लिखित में संशोधित स्कीम के ऐसे प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो निगम के प्रबन्ध निदेशक या कंपनी के अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात की जाए, निगम या कंपनी को सूचित करेगा,

(ख) यदि अधिकारी संशोधित स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख से अपने मूल वेतन को नियत कराने का विकल्प करता है तो 'पुनरीक्षित निबन्धनों' में ऐसा नियतन संशोधित स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व तारीख को "विद्यमान निबन्धनों" के अधीन उसके मूल वेतन के आधार पर प्रभावी किया जाएगा, और संशोधित स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख के पूर्व की अवधि के लिए कोई बकाया उसे देय नहीं होंगे

परन्तु सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन के नियत किये जाने के परिणामस्वरूप यदि 'विद्यमान निबन्धनों' के अधीन सुसंगत वेतनमान में दो या अधिक क्रमवर्ती अनुक्रमों पर अधिकारी का मूल वेतन सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में उसी अनुक्रम पर नियत होता है तो निगम का अध्यक्ष उस अधिकारी को जो "विद्यमान निबन्धनों" के अधीन वेतनमान में उच्चतर अनुक्रम पर है, उसकी सामान्य ग्रेड वृद्धि की तारीख से पूर्वतर तक अतिरिक्त वृद्धि मंजूर कर के उसे उचित असंतोष प्रदान कर सकता है।'।

5. उक्त स्कीम के पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् —

"7. प्रोन्नति पर वेतन का नियत किया जाना—यदि कोई अधिकारी जिसका वेतन संशोधित स्कीम के अधीन नियत किया गया है स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्व किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है या ऐसे प्रकाशन के पश्चात् प्रोन्नत किया जाता है और उसका ऐसे उच्चतर पद पर मूल वेतन वही है जो प्रोन्नति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद में उसका मूल वेतन है तो ऐसे उच्चतर पद में उसका मूल वेतन सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में ठीक उच्चतर अनुक्रम पर नियत किया जाएगा।

परन्तु जहां उक्त उच्चतर पद में मूल वेतन प्रोन्नति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद में मूल वेतन से भिन्न है तो उक्त उच्चतर पद में मूल वेतन सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में ठीक उच्चतर अनुक्रम में उच्चतर अनुक्रम पर नियत किया जाएगा।"।

6. उक्त स्कीम के पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् —

8. वेतन वृद्धियां (1) राजपत्र में संशोधित स्कीम के प्रकाशन की तारीख से किसी अधिकारी को लागू ग्रेड में उसकी वेतन-वृद्धि प्रत्येक वर्ष उस मास के जिसमें उसने अन्त में वेतन-वृद्धि ली थी या उस मास के जिसमें वह बारह मास की अविच्छिन्न सेवा पूरी करता है पहले दिन से देय होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपपैरा के प्रयोजन के लिए "बारह मास की अविच्छिन्न सेवा" से असाधारण छुट्टी की अवधियों का छोड़कर बारह मास के समतुल्य कर्तव्य की अवधि अभिप्रेत है।

(2) उस अधिकारी का जो एक जनवरी, 1989 को पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में सेवा में है, संशोधित स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन-वृद्धि मंजूर की जाएगी परन्तु यह तब जब संशोधित स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान निबन्धनों के अधीन वेतनमान में उसका मूल वेतन 1500 रु. से अधिक नहीं हो।

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है तो ऐसी वेतन-वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी।"

7. उक्त स्कीम के पैरा 9 में 10 प्रतिशत' अंकों और शब्दों के स्थान पर "8-1/3 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त स्कीम के पैरा 10 में—

(i) उपपैरा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(खख) खंड (क) में, उपदान की अनुज्ञेयता के लिए पांच वर्ष की अर्हक अवधि के सम्बन्ध में, और खंड (ख) में, किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अधिकारी को जो निगम या कम्पनी या दोनों की अविच्छिन्न सेवा में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अवधि तक रहा है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, एक मास के मूल वेतन की दर पर उपदान देय होगा, उपदान तीस वर्ष तक की सेवा के लिए अधिक से अधिक पन्द्रह वर्ष के मूल वेतन तक होगा और तीस वर्ष से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधे मास के मूल वेतन की दर पर देय होगा:

परन्तु जहां कोई कर्मचारी, जिसे साधारण बीमा अधिकरण लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का व्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण स्कीम, 1974 लागू है, एक जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किया जाता है वहां उपर्युक्त स्कीम के अधीन उसे अनुज्ञेय से कम राशि के उपदान का संदाय नहीं किया जाएगा।"

(ii) उपपैरा (2) और उपपैरा (3) का लोप किया जाएगा।

9. उक्त स्कीम के पैरा 13 का लोप किया जाएगा।

10. उक्त स्कीम में तीसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

"चौथी अनुसूची

[पैरा 3 (ढक और ढख) देखिए]

I. वेतनमान (मूल वेतन)—

1. महाप्रबन्धक—4100-125-4600 रु.

2. सहायक महाप्रबन्धक—3775-125-4350 रु.

3. प्रबन्धक—3245-110-3685-115-3800 रु.

4. उपप्रबन्धक—2715-105-3450 रु.

5. सहायक प्रबन्धक—2250-100-3250 रु.

6. प्रशासन अधिकारी—1625-100-2925 रु.

7. सहायक प्रशासन अधिकारी—1175-75-1400-85-2677 रु.

II. महंगाई भत्ता—महंगाई भत्ता औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक में (आधार—1960=100) जुड़ा होगा और निम्नलिखित के अनुसार लेवल तब देय होगा जब औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 332 के ऊपर हो, अर्थात्—

(i) महंगाई भत्ता के संदाय के प्रयोजन के लिए, एक शृंखला का अर्थ होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 24 अंकों की वृद्धि या कमी। प्रत्येक शृंखला तीन अनुक्रमों में होगी अर्थात्, 8 अंकों की वृद्धि पर पहला अनुक्रम, 16 अंकों की वृद्धि पर दूसरा अनुक्रम और 24 अंकों की वृद्धि पर तीसरा अनुक्रम,

(ii) 1600 रु. प्रतिमास वेतन लेने वाले अधिकारी पहले अनुक्रम अर्थात्, अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक (1960=100) के त्रैमासिक औसत में 332 के ऊपर 8 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या कमी के लिए, महंगाई भत्ते में त्रैमासिक समायोजन के पात्र होंगे,

(iii) 1601—2425 रु. प्रतिमास के बीच वेतनमान वाले अधिकारियों के लिए पहला समायोजन दूसरे अनुक्रम अनुक्रम पर, अर्थात्, 16 अंकों के प्रत्येक समूह के लिए (जब त्रैमासिक सूचकांक 348 के स्तर पर पहुंच जाए), होगा और पश्चातवर्ती समायोजन 8 अंकों के अगले समूह के लिए (जब औसत सूचकांक 356 पर पहुंच जाए) होगा। तत्पश्चात् समायोजनों की शृंखला की पुनरावृत्ति की जाएगी।

(iv) 2425 रु. प्रतिमास से अधिक ले रहे अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता का समायोजन उपभोक्त मूल्य सूचकांक 332 के ऊपर 24 अंकों की प्रत्येक शृंखला के लिए किया जाएगा।

(v) समायोजन की दर त्रैमासिक औसत सूचकांक में 8 अंकों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए ऊपर (iii) और (iv) में जो कथित है उसके अधीन रहते हुए मान मूल वेतन का 2 प्रतिशत किन्तु 31.60 रु. की परिसीमा के अधीन रहते हुए होगा

(vi) 31.60 रु. की परिसीमा यह सुनिश्चित करने के लिए शिथिल की जाएगी कि किसी अनुक्रम पर देय महंगाई भत्ता 332 अंकों के ऊपर 24 अंकों की प्रत्येक शृंखला के लिए (8 अंकों के तीन अनुक्रम) मूल वेतन के 3.9 प्रतिशत की दर से देय 24 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए 150 रु. की अतिरिक्त परिसीमा के अधीन रहते हुए, कम नहीं है।

(vii) जहां भी आवश्यक हो सीमान्त समायोजन यह सुनिश्चित करने के लिए जाएंगे कि उच्चतर स्तर पर देय महंगाई भत्ते की रकम किसी निम्नतर स्तर पर देय महंगाई भत्ते की रकम से कम नहीं है।

III. मकान भाड़ा भत्ता—मकान भाड़ा भत्ता मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर पर देय होगा परन्तु किसी अधिकारी को देय मकान भाड़ा भत्ता 400 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा और किसी अधिकारी को देय न्यूनतम मकान भाड़ा भत्ता 200 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा.

परन्तु यह और कि वे अधिकारी जिन्हें निगम या कम्पनी ने आवास-सुविधा आवंटित की है मकान भाड़ा भत्ता के हकदार नहीं होंगे और वे उन्हें आवंटित आवास सुविधा के प्रयोग के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत के समतुल्य रकम या अनुज्ञप्ति फीस दोनों में से जो भी कम हो, प्रतिकर के रूप में सदत्त करेंगे।

1. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता—

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा—

पदस्थ होने का स्थान	दर	अधिकतम
1	2	3
(क) 12 लाख से अधिक आबादी वाले नगर और पणजी तथा मारमागोवा के शहरी क्षेत्र	मूल वेतन का 10 प्रतिशत	200 रु.
(ख) 5 लाख और उससे अधिक किन्तु 12 लाख से अनधिक की आबादी वाले नगर, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है और चण्डीगढ़, पाण्डिचेरी और पोर्टब्लेयर	मूल वेतन का 6 प्रतिशत	120 रु.

टिप्पणी : नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के प्रयोजनों के लिए, आबादी के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना रिपोर्ट में हैं।

पांचवीं अनुसूची

(पैरा [illegible] देखिए)

मूल वेतन के नियतन के लिए तत्स्थानी क्रम

क्रम सं.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		सहायक प्रबन्धक		उप प्रबन्धक		प्रबन्धक		सहायक महा प्रबन्धक		मुख्य प्रबन्धक	
	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
1	530	1400	770	1925	1000	2450	1250	2925	1600	3215	2000	3725	2500	110[illegible]
2	570	1485	810	2025	1050	2550	1300	3030	1700	3355	2125	3725	2625	1[illegible]2
3	610	1570	850	2125	1100	2650	1375	3030	1800	3465	2250	3850	2750	135[illegible]
4	650	1655	890	[illegible]	1150	[illegible]750	1450	3135	1900	3465	2375	[illegible]975	2875	447
5	690	1710	930	2325	1200	2750	1525	3135	2000	3575	2500	4100	3000	460
6	730	1825	970	2425	1250	2[illegible]50	1600	3240	2125	3685				
7	770	1910	1010	2435	1300	2[illegible]50	1700	[illegible]315	2250	3[illegible]00				
8	810	1995	1070	25[illegible]5	1375	2950	1800	3345						
9	850	2080	1100	[illegible]	1450	[illegible]050	1900	3450						
10	890	2165	1150	2725	1525	3050	2000	3450						
11	930	2250	1200	2725	1600	3150								
12	970	2335	1250	2825	1675	3250								
13	1010	2[illegible]20	1300	2925										
14	1050	2505												

टिप्पणी : 'विद्यमान मूल वेतन' से 'विद्यमान निबन्धनों' के अधीन मूल वेतन अभिप्रेत है।

[फा. सं. 102/3/इस्पो IV/8:

ए. के. पाण्डया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1985

INSURANCE

S.O. 770(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, Namely :—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 1985;

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1983;

(3) It shall apply to all Officers (Other than the Chairman and Managing Director of Chairman-cum-Managing Director) :—

(i) who are whole-time Officers of the Corporation or of the Company on the date of commencement of this Scheme; and

(ii) who are appointed as such by the Corporation or the Company after the date of commencement of this Scheme,

but shall not apply to persons—

(a) who are employed under specific contracts employment; or

(b) who hold part-time employment; or

(c) whose resignation had been accepted or whose services had been terminated before the date of publication of this Scheme in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the "said Scheme"), in paragraph 3, after clause (n), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(na) "Revised terms" means the revised scales of pay and allowances as specified in the Fourth Schedule;

(nb) "Revised scales of pay" means the revised scales of pay specified in the Fourth Schedule."

3. In paragaraph 4 of the said Scheme, after sub-paragraph (3), the following sub-paragaraphs shall be inserted, namely :—

"(4) With effect from the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 1985 (hereinafter referred to as "the Amendment Scheme"), the pay and allowances of every officer shall be in accordance with the "revised terms" and the basic pay of every Officer in service as on that date shall be fixed in revised scales of pay in accordance with the provisions of paragarph 6A:

(5) Every Officer whose basic pay is fixed in the revised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6A shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of October, 1983 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of basic pay, dearness allowance and other allowances (after deducting the Officer's compulsory contribution to the provident fund) between the "revised terms" and the "new terms" (hereinafter referred to as "existing terms"), aplicable to him immediately before the date of commencement of the Amendment Scheme.

Provided that the mode, manner and time of payment of difference as aforesaid, either in cash or otherwise, shall be as may be decided by the Central Government.

Provided further that :—

(i) an Officer who had retired from service after the 1st day of October, 1983 shall be paid the difference in amount as aforesaid for the the period upto the date of his retirment alalongwith the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of the Amendment Scheme; and

(ii) in the case of an officer who had died whilst in service after the 1st day of October, 1983 the difference in amounts as aforesaid for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was to be paid and the difference in amount of gratuity, if any, arising out of the Amendment Scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was to be paid.

Explanation : For the purposes of sub-paragraph (5), the expression "other allowances" means house rent allowance and city compensatory allowance as admissible to an Officer."

4. After paragraph 6 of the said Scheme, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"6A. Fixation of basic pay in the revised scale of pay :—

(1) The basic pay of every officer in service as on the 30th day of Septemebr, 1983, shall be fixed at a corresponding stage in the relevant revised scale of pay with effect from the 1st day of October, 1983, as specified in the Fifth Schedule.

Provided that where an annual increment is due to such an Officer on the 1st day of October, 1983, he shall be granted such an increment in the revised scale of pay immediately after such fixation of basic pay;

Provided further that where the basic pay of such an Officer is fixed at the maximum of the relevant scale of pay, no such increment shall be granted

(2) The basic pay of every officer appointed on or after the 1st day of October, 1983, but before the publication of the Amendment Scheme in the official Gazette, shall be fixed at a corresponding stage in the relevant rvised scale of pay, as specified in the Fifth Schedule, with effect from the date of his appointment.

(3) (a) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), an officer may choose that his basic pay shall be fixed in the revised scale of pay with effect from the date of publication of the Amendment Scheme in the Official Gazette in which case he shall intimate this fact in writing to the Corporation or the Company within 30 days of such publication of the Amendment Scheme or such further period as may be allowed by the Managing Director of the Corporation or the Chairman of the Company.

(b) Where the officer opts for the fixation of his basic pay from the date of such publication of the Amendment Scheme, such fixation in the "revised terms" shall be effected on the basis of his basic pay under the "existing terms" on the date immediately prior to the date of such publication of the Amendment Scheme and no arrears for the period prior to the date of such publication of the Amendment Scheme will be payable to him;

Provided that where, as a result of the fixation of basic pay in the relevant revised scale of pay, the basic pay of the officer at two or more consecutive stages in the relevant scale of pay under the "existing terms" secures fixation at the same stage in the relevant revised scale of pay, the Chairman of the Corporation may provide appropriate relief by granting an additional increment earlier than the date of his normal grade increment, to the officer who is at the higher stage in the pay scale under the existing terms."

5. For paragraph 7 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"7. Fixation of pay on promotion :—

Where an officer whose pay has been fixed under the Amendment Scheme had been promoted before its publication in the official Gazette or is promoted after such publication to a higher post and his basic pay in such higher post is same as the basic pay in the post held by him before promotion, the basic pay in such higher post shall be fixed at the next higher stage in the relevant revised scale of pay :

Provided that where the basic pay in the said higher post is different from the basic pay in the post held by him before promotion, the basic pay in the said higher post shall be fixed at a stage higher than the next higher stage in the relevant revised scale.

6. For paragraph 8 of the said Scheme, the following pargraph shall be substituted, namely :—

"8. Increments :—

(1) An increment to an officer in the grade applicable to him with effect from the date of publication of the Amendment Scheme in the Official Gazette shall be due every year on the 1st day of the month in which the last increment was drawn or on the 1st day of the month in which he completes twelve months of continuous service.

Explanation—

For the purposes of this sub-paragraph, "twelve months of continuous service" means a period of duty equal to twelve months excluding periods of extraordinary leave.

(2) An Officer who has been in service as a whole-time employee from the 1st day of January, 1980, shall be granted an increment in the relevant revised scale of pay with effect from the date of publication of the Amendment Scheme in the Official Gazette, provided that his basic pay in the scale of pay under the existing terms immediately prior to the date of publication of the Amendment Scheme in the Official Gazette does not exceed Rs. 1050/-.

Provided that no such increment shall be granted if the concerned Officer has reached the maximum of the relevant revised scale of pay.

7. In paragraph 9 of the said Scheme, for the figures and words "10 per cent" the figures and words "8-1/3 per cent" shall be substituted.

8. In paragarph 10 of the said Scheme —

(i) after clause (b) of sub-paragraph (1), the following clause shall be inserted, namely:—

"(bb) Notwithstanding anything contained in clause (a) relating to qualifying period of five years for admissibility of gratuity and Clause (b), gratuity shall be payable to every officer who has been in continuous service of the Corporation or the Company, or both for not less than fifteen years, for each completed year of service or part thereof in excess of six months, at the rate of one month's basic pay, subject to a maximum of 15 months basic pay for service upto 30 years, and for service over 30 years, an additional gratuity shall be payable at the rate of half a month's basic pay for each completed year of service or part thereof in excess of six months :

Provided that where an employee to whom the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clearical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, applies is promoted as an officer on or after 1st day of January, 1973, he shall not be paid gratuity at a sum less than that admissible to him under the above Scheme."

(ii) sub-paragraphs (2) and (3) shall be omitted.

9. Paragraph 13 of the said Scheme shall be omitted.

10. In the said Scheme, after the Third Schedule, the following Schedules shall be inserted, namely :—

FOURTH SCHEDULE

[See paragraph 3(na) and (nb)]

I. Pay Scales (basic pay)—

1. General Manager - Rs. 4100 - 125 - 4600
2. Assistant General Manager - Rs. 3725 - 125-4350
3. Manager - Rs. 3245 - 110 - 3685 -115-3800
4. Deputy Manager - Rs. 2715 - 105 - 3450
5. Assistant Manager - Rs. 2250 - 100- 3250
6. Administrative Officer - Rs. 1625 - 100 - 2925
7. Assistant Administrative Officer - Rs. 1175-75 - 1440 - 85 - 2675

II. Dearness Allowance :

The Dearness Allowance will be linked to All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 1960-100), and shall be payable only when the average All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers is above CPI 332, on the following lines; namely :—

(i) For the purpose of payment of D.A., one cycle would consist of 24 points rise or fall in CPI. Each cycle would consist of 3 stages, viz., 1st stage at 8 points rise, 2nd stage at 16 points rise and 3rd statge at 24 points rise;

(ii) Officers drawing pay upto Rs. 1600 - p.m. will be eligible to get quarterly adjustment in D.A. at the first stage viz. for every rise or fall or 8 points above 332 in the quarterly average of the AIACPI (19600-100);

(iii) For Officers in the pay range of Rs. 1601-2425 p.m., the first adjustment will be at the 2nd stage only, viz for every block of 16 points (when the quarterly index reaches the level of 348) and the subsequent adjustment will be for the next block of 8 points (when the average index reaches 156) The cycle of adjustment will be repeated thereafter;

(iv) For Officers drawing more than Rs. 2425|- p.m., the adjustment of D.A. will be for every cycle of 24 points above CPI 332;

(v) The rate of adjustment will be 2 per cent of the basic pay for every change of 8 points (subject to what is stated in (iii) and (iv) above) in the quartely average of the Index subject to ceiling of Rs. 31 60,

(vi) The ceiling of Rs 31 60 will be relaxed to ensure that the D.A. payable at any stage is not less than the D.A. payable at the rate of 3.9 per cent of the basic pay for each cycle of 24 points (3 stages of 8 points) over 332 points subject to a further ceiling of Rs 150|- for every 24 points rise;

(vii) Marginal adustments wherever necessary shall be made to ensure that the amount of D A payable at a higher level is not less than the amount of D A payable at a lower level

III House Rent Allowance.—

The house rent allowance shall be payable at the rate of 15 per cent of basic pay :

Provided that the house rent allowance payable to any officer shall not exceed Rs 400|- per month and the minimum house rent allowance payable to any Officer shall not be less than Rs 200|- per month:

Provided further that Officers who are allotted accommodation by the Corporation or the Company shall not be entitled to any house rent allowance and they shall pay as compensation for the use of accommodation allotted to them, an amount equivalent to 10 per cent of the basic pay or the licence fees, whichever is less

IV. City Compensatory Allowance —

The City Compensatory Allowance shall be payable at the following rates:-

Place of Posting	Rate	Maximum amount
(a) Cities with population exceeding 12 lakhs and urban agglomeration of Panaji and Margao	10% of Basic Pay	Rs. 200/-
(b) Cities with population of 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs State Capital with Population not exceeding 12 lakhs, and Chandigarh Pondicherry and Port Blair	6% of Basic Pay	Rs. 120/-

Note : For the purposes of City Compensatory Allowance the population figures shall be those as in the 1981 Census Report.

FIFTH SCHEDULE

[See Paragraph (6A)]

Corresponding stages for fixation of Basic Pay Chart

Stg No	Asstt Admn Officer		Admn Officer		Asstt. Manager		Deputy Manager		Manager		Asstt. Genl. Manager		General Manager	
	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.
1	530	1400	770	1925	1000	2450	1250	2925	1600	3245	2000	3725	2500	4100
2.	570	1485	810	2025	1050	2550	1300	3030	1700	3355	2125	3725	2625	4225
3.	610	1570	850	2125	1100	2650	1375	3030	1800	3465	2250	3850	2750	4350
4.	650	1655	890	2225	1150	2750	1450	3135	1900	3465	2375	3975	2875	4475
5.	690	1740	930	2325	1200	2750	1525	3135	2000	3575	2500	4100	3000	4600
6.	730	1825	970	2425	1250	2850	1600	3240	2125	3685				
7.	770	1910	1010	2425	1300	2950	1700	3345	2250	3800				
8	810	1995	1050	2525	1375	2950	1800	3345						
9.	850	2080	1100	2625	1450	3050	1900	3450						
10.	890	2165	1150	2725	1525	3050	2000	3450						
11.	930	2250	1200	2725	1600	3150								
12.	970	2335	1250	2825	1675	3250								
13.	1010	2420	1300	2925										
14.	1050	2505												

NOTE "Existing basic pay" means the basic pay under the "existing terms".

[F. No. 102/3/Ins. IV/85]
A.K. PANDYA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1985